तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरा/ अवकाश/अन्य राजकार्य न तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 24.7.23 को पेश हो।	
24.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने राजीनामा के अनुसार रास्ता कायम किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.7.23 को पेश हो।	
28.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस मे वकील प्रार्थी द्वारा किये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है और वर्तमान मे बहाल है और प्रार्थी आवागमन के लिए उपयोग मे लेते हैं। पक्षकारान के मध्य रास्ता बहाल रखे जाने के सम्बन्ध मे राजीनामा भी प्रस्तुत [illegible] वकील प्रार्थी ने निवेदन कि[illegible] राजीनामा के अनुसार [illegible] रास्ता रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश [illegible] की कृपा करे। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म
	अवलोकन किया। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा किये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता चालू है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'क' में स्पष्ट अभिलिखित है कि रास्ता केवल ऐसी स्थिति में ही दिया जायेगा जहां आत्यंतिक आवश्यकता हो, यह रास्ता जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। वैकल्पिक रास्ता बहाल होने के कारण रास्ता रिकार्ड में दर्ज किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' के तहत नवीन रास्ता रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)		

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:32 IST
Reason: SelfAttested